रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 21, 2004/वैशाख 31, 1926
No. 462] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 21, 2004/VAISAKHA 31, 1926

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(भूमि तथा विकास कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2004

का.आ. 610(अ).—यत: ''दिल्ली रिज क्षेत्र,'' जो दिल्ली में भारत की नई राजधानी स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 775 दिनांक 21-12-1911 के माध्यम से अधिग्रहित भूमि का हिस्सा है, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 24-5-1999 की अधिसूचना द्वारा ''वन क्षेत्र'' घोषित किया गया है।

2. दिल्ली क्षेत्र का करीब 864 हैक्टेयर ''मध्य रिज'' नामक हिस्से का रखरखाव फिलहाल भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण द्वारा किया जा रहा है।

3. दिल्ली रिज क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर दायर रिट याचिका संख्या 4677/1985 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस बात पर सहमत हुई है कि दीर्ध अवधि में मध्य रिज की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार इस भूमि के रखरखाव और सुरक्षा का दायित्व अपने वन विभाग के माध्यम में अपने हाथ में लेगी। यह भी सहमति हुई है कि ''मध्य रिज'' की सुरक्षा और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार समुचित उपाय करेगी।

4. अत: अब भारत सरकार करीब 864 हैक्टेयर आकार की ''मध्य रिज'' नामक नजूल भूमि (जिसकी सीमा-रेखाओं को नीचे उल्लिखित अधिसूची में दर्शाया गया है) को ''जैसा है, जहां है'' आधार पर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सौंपती है ताकि उक्त भूमि का रखरखाव ''हरित क्षेत्र'' के रूप में किया जा सके और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 3-1-1996 को पारित आदेश के अनुसार उक्त प्रयोजन की पूर्ति के लिये आवश्यकतानुसार इस भूमि की सुरक्षा तथा रखरखाव के लिये बाड़ लगाने सहित समुचित उपाय किये जा सके लेकिन उस पर यह शर्त होगी कि भूमि का स्वामित्व और मालिकाना हक भारत सरकार के पास ही रहेगा।

5. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उक्त नजूल भूमि पर कोई निर्माण नहीं करेगी अथवा करने देगी और जहां भी ऐसा करना अपेक्षित हो उक्त भूमि अथवा उसके किसी हिस्से को केन्द्र सरकार को सौंप देगी।

6. दिल्ली सरकार के साथ संयुक्त सर्वे के माध्यम से निर्धारित इस समय मौजूद अवैध क़ब्जों को हटाने की कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भूमि तथा विकास कार्यालय के सहयोग से तत्काल शुरू की जायेगी।

अनुसूची

अन्तरित भूमि का कुल क्षेत्र-फल ''जैसा है जहां है'' आधार पर लगभग 864 हैक्टेयर (एलडीओ प्लान न०-1974 पर हरित क्षेत्र में प्रदर्शित)

सीमा रेखा

उत्तर	-	पूसा रोड/ सरकारी भूमि
दक्षिण	-	सरदार पटेल रोड़ और रक्षा भूमि
पूर्व	-	विलिग्डन क्रिसेन्ट तथा मंदिर मार्ग इंस्टिट्यूशन
पश्चिम	-	ओल्ड राजेन्द्र नगर/न्यू राजेन्द्र नगर तथा वायर लैस रिसिवर स्टेशन एरिया

[फा. सं० प्रर्वतन 15-7(5173)/02]

ए० मधुकुमार रेड्डी, भूमि तथा विकास अधिकारी

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

(Land & Development Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2004

S. O. 610(E).— Whereas the land known as " Delhi Ridge area" forming part of the land acquired by the Government of India for the purpose of establishment of the New Capital of India at Delhi vide notification No. 775 dated 21-12-1911 has been notified by the Government of National Capital Territory of Delhi as Forest area vide notification dated 24-5-94.

2. A part of the Delhi Ridge area known as " Central Ridge" measuring about 864 hectares is presently being managed by Central Public Works Deptt.,Govt. of India.

3. Pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition No. 4677/1985 regarding protection of the Delhi Ridge area, it has been agreed by the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) that the responsibility of maintenance and protection of the Central Ridge, would be taken over by them through its forest department to ensure proper protection of this land in the long term. It has also been agreed that GNCTD would take appropriate measures for protection and maintenance of the " Central Ridge".

4. Now, therefore, the Govt. of India hereby places with immediate effect the nazul lands known as " Central Ridge" measuring about 864 hectares (having boundaries shown in the schedule given below) at the disposal of GNCTD on " as is where is" basis for maintenance of the said land as " Green" and for taking such appropriate measures including fencing for protection and maintenance of this land as may be required to serve the said purpose in accordance with the order dated 3-1-1996 passed by the Hon'ble Supreme Court, subject to the condition that the ownership and title of the land shall continued to be vested with the Govt. of India.

5. Further, the GNCTD shall not make, or cause or permit to be made, any construction on the above said nazul lands and shall when required by the Govt. of India so to do, replace the said land or any portion thereof as may be so required, at the disposal of the Central Govt.

6. Action for removal of presently existing unauthorized occupation as identified through joint survey along with GNCTD, shall be initiated by GNCTD immediately in collaboration with CPWD and L& DO.

SCHEDULE

Total area of land transferred: Approximately 864 hectares (shown in green outlines on LDO Plan No, 1974) on " as is where is basis"

BOUNDARIES

North	-	Bounded by Pusa Road/Government land
South	-	Sardar Patel Road and Defence land
East	-	Willigdon Crescent & Mandir Marg Institutions
West	-	Old Rajinder Nagar/New Rajinder Nagar & Wireless Receiving Station area.

[F. No. Enf 15-7(5173)/02]

A. MADHUKUMAR REDDY, Land & Development Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.